हरियाणा बकाया जल शुल्क माफ करेगा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में राज्य में ग्रामीण परिवारों के लिये **₹372.13 करोड़ बकाया जल शुल्क, जिसमें अधिभार (सरचार्ज) और ब्याज** भी शामिल है, माफ करने का निर्णय लिया गया।

मुख्य बिंदु:

- सूत्रों के मुताबिक इस छूट से **28.87 लाख जल कनेक्शन धारकों** को फायदा होगा। यह **सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थागत, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपभोक्ताओं** पर लागू नहीं होता है।
- कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिये 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2022 तक जमा 336.35 करोड़ रुपए की पेयजल शुल्क माफी को मंज़ूरी दे दी है।
    - इसमें **सामान्य वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति वर्ग** भी शामिल है।
- **पर्यावरण पर्यटन नीति के विकास को भी मंज़ूरी** दी गई है। यह नीति हरियाणा के विविध परिदृश्यों के संरक्षण पर ज़ोर देती है।
- इनमें **दो** राष्ट्रीय उद्यान, **सात** वन्यजीव अभयारण्य, **दो** रामसर स्थल, **दो** संरक्षण रिज़र्व **और पाँच** सामुदायिक रिज़र्व शामिल हैं।
    - इसमें बहुत से विशिष्ट पशु आवास पारिस्थितिकी तंत्र भी शामिल हैं, जिनमें **अरावली पर्वत शृंखला, शिवालिक पहाड़ियाँ, समृद्ध जैवविविधता, सघन जंगल, जल निकाय और दर्शनीय स्थल** शामिल हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/haryana-to-waive-outstanding-water-charges